झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन, एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

कार्यालय– जिला कृषि पदाधिकारी,पाकुड़

पता–जिला संयुक्त कृषि भवन,प्रखण्ड परिसर,पाकुड, पिन कोड–816107,झारखण्ड

(अति अल्प कालीन निविदा सूचना)

निविदा सूचना संख्या –06 / 2024–25

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सचिव ,कृषि ,पशुपालन ,एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची के राज्यादेश सं0 –14 दिनांक 30.05.2024 के अनुपालन में राज्य योजनान्तर्गत कृषि प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के PR 335916 (Agriculture)24-25(D) से निविदा आयोजित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निविदा समिति द्वारा निविदा रद्द करते हुए पुनः अति अल्प कालीन निविदा का निर्णय लिया गया।

उक्त के निमित निम्न लिखित रसाययनों एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु मोहरबंद सील लिफाफे में पुनः अति अल्प कालीन निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 14.12.2024 तक अपराह्न 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा किये जा सकते है एवं दिनांक 14.12.2024 के अपराह्न 4.00 बजे निविदा खोला जायेगा।

समाग्री की पूर्ण विवरणी निम्नवत् हैं :–

Sl.No.	Particulars	Description	No
1	Mridaparikshak Kit Inculuding Regent a.25 Soil Simple Test b.50 Soil Sample Test c.100 Soil Sample Test	13 PARAMETER	01 Nos
2	Mridaparikshak Regent Box a.25 Soil Sample Test b.50 Soil Sample Test c.100 Soil Sample Test	–	05 Nos

निविदा समर्पित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्ते :–

- GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं GST जामा करने से संबंधित अद्यतन जमा रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सशर्त्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी।
- Udyam Registration Certificate अद्यतन होना अनिवार्य है।
- विलंब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होगी।
- कार्य अनुभव के प्रमाण –पत्र की छाया प्रति संल्गन करना होगा।
- निविदाता के द्वारा पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- निर्माणकर्त्ता /प्रतिष्ठानों /प्राधिकृत एजेन्सी राष्ट्रीय/ राजकीय अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता का नाम देगें। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान निविदादाता कम्पनी का अद्यतन प्रधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करेगें।
- निर्माता कंपनी /प्राधिकृत विक्रेता एवं एजेन्सी को इस आशय का स्व0 अभिप्रमाणित एवं लेख्य प्रमाणक(नोटरी द्वारा) शपथ पत्र देना होगा कि उसकी कम्पनी/संस्थान केन्द्र सरकार , राज्य सरकार या किसी अनुशांगिक इकाई द्वारा काली सूची में नहीं है। जॉच उपरांत गलत पाये जाने पर निविदादाता वैधानिक कार्रवाई के भागी होगें।
- निविदा से संबंधित अग्रधन की राशि मॉ0 10000(दस हजार) रूपये मूल बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी,पाकुड़ के नाम से संलग्न करना होगा। निविदा प्रकिया उपरांत चयनित फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्म की अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।

- निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खुलने की तिथि के समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
- रसायन एवं उपस्करों की आपूर्ति मूल्य सभी करों सहित प्रति इकाई (01 Unit) सूची कमांक के अनुरूप उनके नाम के सामने वाले स्तंभ में कम्प्यूटरीकृत रूप से अंकित करेगें। निविदा में दिये गये मूल्य किसी भी परिस्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। भविष्य में जॉचोपरांत मूल्य में भिन्नता पाये जाने पर निविदादाता स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें और वे सभी प्रकार के वैधानिक कार्रवाई के भागी होगें।
- निविदा का तकनीकी एवं मूल्य भाग अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना होगा। तकनीकी भाग में निविदत्त रसायन एवं उपस्कर को नाम (कमांक के अनुसार) पैंकिग/फीचर एवं साईज के साथ अंकित करना होगा, साथ ही निविदादाता जिन रसायन एवं उपस्करों को मूल्य भाग में शामिल रखेंगें उन्हे तकनीकी भाग में मूल्य रहित (Without Price) करते हुए सूचीवद्ध करेगें ताकि उनके द्वारा निविदत रसायन एवं उपस्कर की जानकारी हो सकें। सफल निविदादाताओं का मूल्य भाग पर विचार किया जायेगां।
- निविदा दाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले उपकरण केन्द्र /राज्य/ ICAR द्वारा निर्धारित मापदंड के अधीन होना चाहिए, मापदंड के अनूरूप नहीं होने की स्थिति में वैसे निविदा दाता पर विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य शर्ते

- बिना कारण बतायें निविदा आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति मे निविदा के शर्तो में संशोधन एवं शिथिल करने हेतु जिला कय समिति (कृषि विभाग) पाकुड़ को सुरक्षित/ अधिकृत होगा।
- इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मान्य होगा। विशेष परिस्थिति यथा ससमय आपूर्ति नहीं करनें एवं गुणवत्ता निम्न पाये जाने की स्थिति में निविदा रद्द करते हुए भुगतान प्रकिया लंबित रखी जायेगीं ।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पाकुड़ होगा।

06/12

जिला कृषि पदाधिकारी,
पाकुड़।